अरजन बनाम रूपसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप० [illegible] अतः प्रार्थी सं 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 11/11/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
11/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 27/11/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	27/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष [illegible] वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 15/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
	15/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकला [illegible] कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 24/12/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	24/12/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पत्र T.I. खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तामील मुताबिक नियम कार्यालय दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 24/12/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला दौसा।

मु.न. 160/2025
दर्ज दिनांक 09.09.2022
निर्णय दिनांक 24.12.2025

उनवान

1. अरजन पुत्र कौशीलाल उम्र 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी जोधपुरिया, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा। प्रार्थी.....।

बनाम

2. रूपसिंह पुत्र चेतराम जाति गुर्जर निवासी गादण्डी तह. बांदीकुई जिला दौसा।
3. हरिसिंह पुत्र छित्तर सिंह जाति गुर्जर, निवासी जोधपुरिया तह. बांदीकुई जिला दौसा।
4. भगवान सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह जाति गुर्जर निवासी बासडा, तह. बांदीकुई जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण.....।

प्रार्थना पत्र अथायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जर्ये वकील अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है, जिसमें सफलता की पूरी–पूरी आशा है। ग्राम आशापुरा पटवार हल्का श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त स्थित खाता सं. नया 25 पुराना 24 के खसरा नं. 146 रकबा 0.08 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 147 रकबा 0.53 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 148 रकबा 0.21 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 149 रकबा 0.24 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 153 रकबा 0.11 हैक्टेयर, गै.मु. रास्ता, खसरा नं. 206 रकबा 0.67 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 209 रकबा 0.33 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 225 रकबा 0.07 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 226 रकबा 0.37 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 228 रकबा 0.16 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 229 रकबा 0.15 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 230 रकबा 0.41 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 329 रकबा 0.05 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 330 रकबा 0.42 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 332 रकबा 0.23 हैक्टेयर, चाही 1, खसरा नं. 333 रकबा 0.22 हैक्टेयर, चाही 1, खसरा नं. 333/392 रकबा 0.01 हैक्टेयर, गै.मु. चाह, खसरा नं. 343 रकबा 0.08 हैक्टेयर, चाही 1, खसरा नं. 344 रकबा 0. 16 हैक्टेयर, चाही 1, खसरा नं. 345 रकबा 0. 22 हैक्टेयर, चाही 1, खसरा नं. 346 रकबा 0.19 हैक्टेयर, चाही 1, खसरा नं. 4 रकबा 0. 10 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 349 रकबा 0.03 हैक्टेयर, गै.मु. चाह, खसरा नं. 350 रकबा 0.05 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 352 रकबा 0.10 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 362 रकबा 0.17 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 0.33 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 365 रकबा 0.21 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 367 रकबा 0.01 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं.

उप जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

368 रकबा 0.19 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 369 रकबा 0.24 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 370 रकबा 0.05 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 371 रकबा 0.13 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 372 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 364 रकबा बारानी 1, खसरा नं. 373 रकबा 0.07 हैक्टेयर, बारानी 1, खसरा नं. 374 रकबा 0.13 हैक्टेयर, बारानी 1, कुल किता 37 कुल रकबा 6.94 हैक्टेयर स्थित है। जिसके प्रार्थी व जमाबंदी में वर्णित खातेदार काश्तकार है, तथा काबिज, काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित भूमि से कोई लेना देना नही हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 02 में वर्णित भूमि वादग्रस्त प्रार्थी व जमाबंदी में वर्णित सहखातेदार की खातेदारी की तन्हा कब्जे काश्त की भूमि है, जिसका प्रार्थी पूर्व से ही पुख्ता खाम डोल बनाकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो जबरन प्रार्थी की आराजियात में जबरन सीमा विवाद उत्पन्न कर कब्जा करना चाहते है और आये दिन दखलान्दाजी करते रहते है। प्रार्थी उक्त भूमि वादग्रस्त के खातेदार, काश्तकार है। भूमि मुतदाविया से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त भूमि मुतदाविया में वादी काश्त कर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहे है। अप्रार्थीगण तथा उनके परिवारजन दिनांक 01.09.2025 को वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ख.नं. 225, 226, 228 में अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से पत्थर व बजरी डालने लगे तथा जबरन पुख्ता निर्माण हेतु नींव खोदने का प्रयास करने लगे। वादी को जानकारी होने पर प्रार्थी के परिवार जन ने मौके पर गये तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व की भूमि में निर्माण करने से रोका तो अप्रार्थीगण, प्रार्थी व उसके परिवार जन को गाली गलोच करने लग गये और प्रार्थी के खेत में जबरन घुसकर कब्जा करने पर आमादा होने लगे व उपयोग उपभोग में व्यवधान डालने लगें। प्रार्थी ने उक्त घटना बाबत पुलिस थाना बांदीकुई को भी सूचना दी तथा पुलिस थाना बसवा को सूचना देने पर अप्रार्थीगण मौके से गये। अप्रार्थीगण बाहुबली व भूमाफिया होने से व पहुँच वाले व्यक्ति होने से अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थीगण ने ऐलानिया चेतावनी देते हुए धमकी दी है कि हम जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करके रहेगे। तुम अगर इसमें फसल बोओंगे तो उसे अपने पशुओं को खुला छोडकर नष्ट करवा देगे तथा खाम डोल को तोड़कर पुख्ता निर्माण करेंगें और तुम्हे जबरन ताकत के बल पर बेदखल करके अपना कब्जा करके रहेगे अगर अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में अनेको प्रकार के मुकदमे हो जावेगे जिससे बर्बादी प्रार्थी होगी। जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में जबरन कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये और प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर सम्भव नही हो सकेगी। प्रार्थी को अनेकों किस्म के मुकदमो में उलझना पड़ेगा जिससे प्रार्थी के धन व समय की बर्बादी होगी। इस कारण अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर से पाबन्द किया जाना इन्साफन व कानूनन न्यायोचित है कि वे स्वयं अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के जो वाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित है, पर जबरन कब्जा करने का प्रयास न करे, किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण नही करे प्रार्थी को फसल एवं प्रकृतिक उपज प्राप्त करने में रूकावट पैदा ना कर, उपरोक्त आराजियात को प्रार्थी के हक

Signature

उप जिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई (दौसा)

मुरब्बा 24 के खसरा नं. 146 रकबा 0.08 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 147 रकबा 0.53 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 148 रकबा 0.21 हैक्टेयर, बारानी ए, खसरा नं. 149 रकबा

Scanned with OKEN Scanner

धिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रार्थी को फसल बोते व काटते समय कोई व्यवधान त्पन्न ना करे। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र थम दृष्टया बखूबी साबित है व अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावे कि ग्राम आशापुरा पटवार हल्का श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त स्थित खाता सं. नया 25 पुराना 24 के खसरा नं. 225 रकबा 0.07 हैं., खसरा नं. 226 रकबा 0.37 हैं., खसरा नं. 228 रकबा 0.16 हैं. में अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 स्वयं, अपने परिवारजन, नौकर एजेन्ट, मददगारान से प्रार्थी की खाम डोल को तोड–फोड ना करे एवं प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि जो पैरा सं. 01 में वर्णित है, में जबरन कब्जा करने का प्रयास न करें। उक्त भूमि मे प्रार्थी को फसल बोते व काटते समय कोई व्यवधान उत्पन्न न करे एवं प्रार्थी को प्राकृतिक उपज प्राप्त करने से ना रोके तथा किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण न करें तथा मौके की यया स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादीगण 1 लगायत 03 उपस्थिति हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब निम्न प्रकार पेश किया गयाः– प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में दावा पेश करने का तथ्य सही है। दावा यकीनन खारिज होगा। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 02 में वर्णित तथ्य राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी को पैरा नं. 02 में वर्णित भूमि के सहखातेदार महेन्द्रसिंह द्वारा आराजी खसरा नं. 226 में से अप्रार्थी 01 ने एक भूखण्ड 410 वर्गगज जरिये इकरारनामा दिनांक 12.06.2024 को खरीदकर मौके पर विधिवत कब्जा प्राप्त किया और अपने भूखण्ड पर रिहायश बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अप्रार्थी सं. 02 ने दिनांक 23.01.2023 को सहखातेदार महेन्द्रसिंह से 254 वर्गगज जरिये इकरारनामा खरीदकर स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं. 03 भगवानसिह ने दिनांक 20.04.2020 को सहखातेदार महेन्द्रसिंह से 309 वर्गगज खरीदकर कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं. 02 ने इकरारनामा अपने पुत्र के नाम तथा अप्रार्थी सं. 03 ने इकरारनामा अपनी पत्नी के नाम करवाया है। प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि वादी एवं प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 02 में वर्णित भूमि वादग्रस्त के प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान द्वारा आपसी सहमति से अपने बुजुर्गान के समय से बंटवारा किया हुआ है। जिसकी बाबत वर्तमान खातेदारो ने आपसी सहमति से एक बंटवारानामा भी लिखा हुआ है जो निम्न प्रकार है– हम महेन्द्रसिह, धर्मेन्द्रसिंह पुत्रान गंगासहाय, अरजन, गोपाल पुत्रान कौरीलाल है

1– हमने हमारी शामलाती भूमि खाता सं. नया 25 पुराना 24 तथा खाता सं. नया 26 पुराना 25 वाके ग्राम आशापुरा में स्थित है। जिसका आपसी सहमति से हमारे पूर्वजो के समय से ही बहामी बंटवारा करके मौके पर काबिज काश्त है और अपनी–अपनी रिहायश बना रखी है। बाहामी बंटवारा हम सभी का मौके पर निम्न प्रकार किया हुआ है। महेन्द्र, धर्मेन्द्र पुत्रान गंगासहाय, अरजन पुत्र कौरीलाल, गोपाल पुत्र कौरीलाल के हिस्से में आराजी खसरा नं. 148, 149, 226, 228, 344, 345,346,365, 332,333,347,152 आये है तथा जयराम, करतार, बहादुर पुत्रान् रामहेत के हिस्से में खसरा नं. 206,225,229,352 है तथा मन्नालाल, विनोद कुमार, पुत्रान आनन्दा, प्रदीपसिंह, बाबूलाल, संजीव कुमार पुत्रान

उप जिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई (दौसा)

ाक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जाना है। जब तक किसी काबिज व्यक्ति कि विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नही है। अतः प्रथम दृष्टतया ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से में दखल देते हो। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है।

2. अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्तः– अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब के साथ इकरार नामे की छाया प्रति के अवलोकन से साबित है कि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से संबंध है इसलिये अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को कारित नही हो सकती है। अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे है।

3. सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त भूमि में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है इसलिये सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 के विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण प्रथम दृटया वादग्रस्त भूमि में काबिज है। किसी काबिज व्यक्ति के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 09.09.2025 को ग्राम आशापुरा के भूमि खाता संख्या नया 25 पुराना 24 के खसरा नम्बर 225,226,228 में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वैकेट की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.12.2025 को उक्त आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/25

(रामसिह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई